



Neutral Citation No. - 2026:AHC:126366

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 65/2025

गोलू वर्मा

.....अपीलकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

अपीलकर्ता(गण) के अधिवक्ता : गोपाल कृष्ण पांडे

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 7

माननीय न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी

हमने अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री गोपाल कृष्ण पांडे और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. श्री मिथिलेश कुमार को सुना और रिकॉर्ड पर उपलब्ध संपूर्ण सामग्री का अवलोकन किया।

यह आपराधिक अपील अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (संशोधन अधिनियम, 2015) की धारा 14-ए(1) के तहत अपीलकर्ता द्वारा थाना कोतवाली, जिला मऊ में धारा 376, 384, 504, 506 भा.द.सं. और एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3(2)(वी) के तहत दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 241/2021 से उत्पन्न सत्र परीक्षण संख्या 323/2024 (राज्य बनाम गोलू वर्मा) की संपूर्ण कार्यवाही को और साथ ही माननीय विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी अधिनियम), मऊ द्वारा पारित दिनांक 22.08.2021 की आरोपपत्र तथा दिनांक 16.09.2021 का संज्ञान/समन आदेश रद्द करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि यह एफआईआर दुर्भावनापूर्ण इरादे से और अपीलकर्ता की माता द्वारा 15.04.2021 को पुलिस अधीक्षक, मऊ के समक्ष शिकायत दर्ज कराने के जवाब में दर्ज कराई गई है। शिकायत में सूचनादाता द्वारा कथित तौर पर उधार लिए गए 50,000 रुपये की वसूली का आरोप लगाया गया था। उनका तर्क है कि पुलिस द्वारा उक्त

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



शिकायत पर कार्रवाई किए जाने के बाद ही सूचनादाता ने 15.06.2021 को अपीलकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों को झूठा फंसाते हुए यह एफआईआर दर्ज कराई। आगे यह भी कहा गया है कि एफआईआर में लगाए गए आरोप लगभग चार वर्षों की अवधि में घटी घटना से संबंधित हैं। अपीलकर्ता के अनुसार, इस अस्पष्ट विलंब से अभियोजन पक्ष की कहानी संदिग्ध हो जाती है। विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अपीलकर्ता द्वारा सूचनादाता का आपत्तिजनक वीडियो बनाने का आरोप पूरी तरह से झूठा है, क्योंकि जांच के दौरान ऐसा कोई वीडियो, फोटो या इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य बरामद नहीं हुआ। इसलिए, भा.द.सं. की धारा 384 के तहत अपराध के तत्व भी लागू नहीं होते हैं। आगे यह निवेदन किया गया है कि सूचनादाता की चिकित्सा जांच एफआईआर दर्ज होने के लगभग दो महीने बाद की गई थी और अभियोजन पक्ष ने एक निजी अस्पताल द्वारा जारी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट पर भरोसा किया है, जिससे अभियोजन पक्ष के मामले पर संदेह पैदा होता है। यह भी तर्क दिया गया है कि जांच अधिकारी निष्पक्ष और उचित जांच करने में विफल रहे और बचाव पक्ष के पक्ष की जांच किए बिना ही आरोपपत्र दाखिल कर दिया। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि अपीलकर्ता ने लगातार सभी आरोपों से इनकार किया है, उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह वर्तमान में जमानत पर है। यह भी निवेदन किया गया है कि संबंधित समय में सूचनादाता एक बालिग महिला थी और कई वर्षों तक बिना किसी शिकायत के बार-बार यौन संबंध बनाने के आरोप स्वाभाविक रूप से असंभव हैं। उपरोक्त निवेदनों के आधार पर, विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभियोजन झूठा है और कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है, इसलिए आपराधिक कार्यवाही रद्द की जानी चाहिए।

इसके विपरीत, विद्वान एजीए ने इसका विरोध किया और कहा कि आक्षेपित आदेश में कोई अवैधता नहीं है जिसके लिए हस्तक्षेप की आवश्यकता हो। यह निवेदन किया जाता है कि एफआईआर, धारा 161 और 164 दंड प्रक्रिया के तहत दिए गए बयान, चिकित्सा साक्ष्य और जांच के दौरान एकत्रित अन्य सामग्री से अपीलकर्ता के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनता है। पीड़िता के आरोप स्पष्ट हैं। अपीलकर्ता द्वारा उठाए गए बचाव पक्ष के तर्क, जिनमें झूठा फंसाना, सहमति, एफआईआर दर्ज करने में देरी और कथित वीडियो क्लिप की बरामदगी न होना शामिल हैं, तथ्य के विवादित प्रश्न हैं जिनके लिए साक्ष्य की आवश्यकता है और इस स्तर पर इनकी जांच नहीं की जा सकती। यह भी निवेदन किया जाता है कि जांच अधिकारी ने उचित जांच के बाद पर्याप्त सामग्री पाई और आरोपपत्र दाखिल किया। पीड़िता के बालिग और सहमति देने वाली पक्षकार होने

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



का तर्क बचाव पक्ष का मामला है जिस पर मुकदमे के दौरान निर्णय लिया जाएगा। अतः, प्रथम दृष्टया मामला बनता है। अपील खारिज किए जाने योग्य है।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान एजीए की दलीलें सुनने और अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद, न्यायालय पाता है कि पीड़ित घटना के समय बालिग था, लेकिन वर्तमान आवेदक के विरुद्ध विशिष्ट आरोप हैं। एफआईआर और द.प्र.सं. की धारा 161 और 164 के तहत दर्ज पीड़ित के बयानों में अपीलकर्ता के विरुद्ध संबंधित अपराधों के संबंध में विशिष्ट आरोप हैं। अपीलकर्ता का यह तर्क कि पीड़ित सहमति से शामिल था और अभियोजन दुर्भावनापूर्ण इरादे से शुरू किया गया है, तथ्य के विवादित प्रश्नों से संबंधित है, जिनका इस प्रकार की कार्यवाही में निर्णय नहीं किया जा सकता। अपीलकर्ता द्वारा केवल सहमति का दावा करना, अपने आप में, आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने का आधार नहीं है, विशेषकर तब जब पीड़ित ने उसके विरुद्ध विशिष्ट आरोप लगाए हों। अभिलेख से यह भी पता चलता है कि उचित जांच के बाद, जांच अधिकारी (सीओ) ने जांच के दौरान एकत्रित सामग्री के आधार पर अपीलकर्ता के विरुद्ध आरोपपत्र प्रस्तुत किया।

एफआईआर में लगाए गए आरोपों, पीड़िता के बयानों और जांच के दौरान एकत्रित सामग्री के आधार पर, प्रथम दृष्टया अपीलकर्ता के विरुद्ध मामला प्रतीत होता है। अतः कार्यवाही में हस्तक्षेप या उसे रद्द करने का कोई आधार प्रतीत नहीं होता।

इसलिए, अपील में कोई दम नहीं है और इसे खारिज किया जाता है।

(न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी)

9 जून, 2026

बृजेश

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।